

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

-: अधिसूचना :-

रॉची,
दिनांक :- 7.2.14
अधि.सं.-01/स्था.(प्रभार/पदस्था.)-11-03/2010.....1060/श्री शिवानन्द राय, अधीक्षण अभियंता, बॉध एवं गेट रूपांकण अंचल, रॉची को अगले आदेश तक अपने मूल कार्य के अतिरिक्त संयुक्त सचिव (अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

2. यह आदेश पूर्णतः अस्थायी है। उक्त पद पर नियमित पदस्थापन के पश्चात् यह आदेश स्वतः समाप्त हो जायेगा।
3. उक्त कार्य के लिए श्री शिवानन्द राय, अधीक्षण अभियंता को कोई अतिरिक्त वित्तीय लाभ देय नहीं होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(दिनेश उपाध्याय)
सरकार के उप सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :-

1060

रॉची, दिनांक :-

7.2.14

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा रॉची को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि गजट प्रकाशन के पश्चात् इसकी 25 (पच्चीस) प्रतियाँ कार्यालय अभिलेख हेतु विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

(दिनेश उपाध्याय)
सरकार के उप सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :-

1060

रॉची, दिनांक :-

7.2.14

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, रॉची/ उप सचिव, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड रॉची/ माननीया मंत्री, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव, झारखण्ड रॉची (दो प्रतियों में)/ सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ सचिव मंत्रिमंडल (निगरानी), विभाग झारखण्ड रॉची/ अभियंता प्रमुख-01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ सभी संयुक्त सचिव/ सभी उप सचिव/ सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ मुख्य अभियंता, समग्र योजना रूपांकण एवं जल विज्ञान, रॉची/ श्री शिवानन्द राय, अधीक्षण अभियंता, बॉध एवं गेट रूपांकण अंचल, रॉची/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ वेब इन्फार्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ प्रशाखा पदाधिकारी-01, 02, 03, 04, 06, 07 यो., 07ब., 08ए., 08बी. एवं 14 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(दिनेश उपाध्याय)
सरकार के उप सचिव (प्र.)